



**यूएई की यात्रा करने वाले या वहाँ रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए
पर्याप्त चिकित्सा बीमा लेने हेतु परामर्शी**

भारतीय दूतावास, अबू धाबी और भारत का प्रधान कोंसलावास, दुबई और उत्तरी अमीरात के समक्ष ऐसे मामले आए हैं, जिनमें भारतीय नागरिकों को अप्रत्याशित बीमारियों अथवा चिकित्सा आपात स्थितियों का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप भारी चिकित्सा बिलों का भुगतान करना पड़ा है, जो रोगी या उनके परिवार के सदस्यों की क्षमता से बाहर है और उनके पास अपर्याप्त बीमा कवर है।

2. सभी भारतीय नागरिक, जो यात्रा या पर्यटन के लिए यूएई की यात्रा कर रहे हैं, उन्हें अपनी यात्रा शुरू करने से पहले पर्याप्त और उचित चिकित्सा बीमा लेने की सलाह दी जाती है, जिसमें अप्रत्याशित आपात चिकित्सा की स्थिति में भारत में चिकित्सा प्रत्यावर्तन की लागत सहित कैशलेस सुविधाएं भी शामिल हैं।

3. रोजगार वीजा या आश्रित के रूप में यूएई में रहने वाले भारतीयों को यह सत्यापित करने की सलाह दी जाती है कि उनका चिकित्सा बीमा यूएई में सभी चिकित्सा खर्चों और भारत में चिकित्सा प्रत्यावर्तन को कवर करने के लिए पर्याप्त है।

**अक्टूबर 27, 2026
अबू धाबी/दुबई**